भारत सरकार

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या *68

गुरुवार, दिनांक 28 अप्रैल, 2016 को उत्तर देने हेतु

<u>सौर ऊर्जा संयंत्र</u>

*68. श्री सी॰ आर॰ चौधरी:

श्री लखन लाल साहूः क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) स्थापित किए गए सौर ऊर्जा संयंत्रों की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार संख्या कितनी है और स्थापित किए जा रहे सौर ऊर्जा संयंत्रों की वर्तमान स्थिति और उनकी अधिष्ठापित क्षमता कितनी है;

(ख) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के सहयोग से सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए अनुदान/ऋण देने का है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार उक्त योजना के कार्यान्वयन हेतु आवश्यक सौर ऊर्जा उपकरण उपलब्ध कराने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) सरकार को गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना और सौर नगरों का विकास करने के लिए राजस्थान और मध्य प्रदेश सहित विभिन्न राज्य सरकारों से प्राप्त हुए प्रस्तावों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है और उन पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है; और

(ङ) सरकार द्वारा सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना करने हेतु राज्यों को जारी किए गए दिशा-निर्देशों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क), (ख), (ग), (घ) और (ङ): एक विवरण सदन पटल पर रखा है।

विवरण

"सौर ऊर्जा संयंत्र" के संबंध में पूछे गए दिनांक 28.04.2016 के लोकसभा तारांकित प्रश्न सं. 68 के भाग (क), (ख), (ग), (घ) और (ङ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) देश में 31.03.2016 तक ग्रिड संबद्ध सौर विद्युत संयंत्रों की कुल 6763 मेगावाट क्षमता संस्थापित की गई है। संस्थापित सौर संयंत्रों की राज्यवार क्षमता अनुलग्नक-I में दी गई है। वर्ष 2016-17 के लिए लगभग 10,500 मेगावाट क्षमता की योजना बनाई गई है जिसके लिए लगभग 11,100 मेगावाट की निविदाएं प्रदान की गई हैं।

(ख) जी, हां। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) द्वारा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के माध्यम से सौर रोशनी एवं लघु सौर प्रणालियों का कार्यान्वयन किया जाता है और व्यक्तियों को 300 वाट पीक तक के सौर विद्युत पैक्स की संस्थापना करने के लिए अनिवार्य ऋण के साथ 40 प्रतिशत पूंजीगत सब्सिडी दी जाती है।

(ग) एमएनआरई द्वारा नाबार्ड योजना के अन्तर्गत सौर प्रणालियाँ उपलब्ध कराने के लिए आपूर्तिकर्त्ताओं को सूचीबद्ध किया गया है और देश में पहले से ही सौर ऊर्जा उपकरण उपलब्ध हैं।

(घ) सरकार ने विभिन्न राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों को सौर विद्युत संयंत्रों की स्थापना करने और सौर शहरों का विकास करने हेतु संबंधित योजना दिशा-निर्देशों के अनुसार मंजूरी प्रदान की है। गत तीन वर्षों के दौरान मंजूर किए गए सौर शहरों सहित ऐसी परियोजनाओं के राज्यवार ब्यौरे अनुलग्नक-II में दिए गए हैं।

(ङ) सौर विद्युत संयंत्रों की स्थापना करने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित ग्रिड संबद्ध सौर योजनाएं आरंभ की गई हैं जिनका ब्यौरा अनुलग्नक-III में दिया गया है-

(i). सौर पार्कों और अल्ट्रा मेगा सौर विद्युत परियोजनाओं के विकास हेतु योजना,

(ii). नहरों के किनारे/नहरों के ऊपर सौर पीवी विद्युत संयंत्रों के विकास हेतु योजना,

(iii). रक्षा मंत्रालय के अधीन रक्षा प्रतिष्ठानों और अर्ध सैनिक बलों द्वारा व्यवहार्यता अन्तराल निधिकरण के साथ 300 मेगावाट पीक ग्रिड संबद्ध सौर पीवी विद्युत परियोजनाओं की संस्थापना करने हेतु योजना।

(iv). केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा व्यवहार्यता अन्तराल निधिकरण के साथ 1000 मेगावाट की ग्रिड संबद्ध सौर पीवी विद्युत परियोजनाओं की संस्थापना करने संबंधी योजना का कार्यान्वयन।

(v). एनटीपीसी/एनवीवीएन द्वारा 15000 मेगावाट की ग्रिड संबद्ध सौर पीवी विद्युत परियोजनाओं की संस्थापना करने हेतु योजना का कार्यान्वयन।

(vi). भारतीय सौर ऊर्जा निगम (सेकी) के माध्यम से व्यवहार्यता अन्तराल निधिकरण के साथ 2000 मेगावाट ग्रिड संबद्ध सौर विद्युत की संस्थापना।

योजनाएं तथा उनसे संबंधित दिशा-निर्देश एमएनआरई की वेबसाइट पर अपलोड किए जाते हैं।

अनुलग्नक-I

"सौर ऊर्जा संयंत्र" के संबंध में पूछे गए दिनांक 28.04.2016 के लोकसभा तारांकित प्रश्न सं. 68 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक-I।

जेएनएनएसएम के तहत ग्रिड संबद्ध सौर ऊर्जा परियोजनाओं की कमीशनिंग की स्थिति

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	31.03.2016 तक (मेगावाट) में कुल संचयी स्थापित क्षमता
1	आन्ध्र प्रदेश	572.966
2	अरुणाचल प्रदेश	0.265
3	बिहार	5.100
4	छत्तीसगढ़	93.580
5	गुजरात	1119.173
6	हरियाणा	15.387
7	झारखंड	16.186
8	कर्नाटक	145.462
9	केरल	13.045
10	मध्य प्रदेश	776.370
11	महाराष्ट्र	385.756
12	ओडिशा	66.920
13	पंजाब	405.063
14	राजस्थान	1269.932
15	तमिलनाडु	1061.820
16	तेलंगाना	527.843
17	त्रिपुरा	5
18	उत्तर प्रदेश	143.495
19	उत्तराखंड	41.145
20	पश्चिम बंगाल	7.772
21	अंडमान और निकोबार	5.100
22	दिल्ली	14.28
23	लक्षद्वीप	0.750
24	पुदुचेरी	0.025
25	चंडीगढ़	6.806
26	दमण और दीव	4
27	जम्मू और कश्मीर	1
28	हिमाचल प्रदेश	0.201
29	मिजोरम	0.100
30	अन्य (पीएसयू/चैनल भागीदारी) रूफटॉप के अन्तर्गत	58.311
कुल		6762.853

अनुलग्नक-।।

"सौर ऊर्जा संयंत्र" के संबंध में पूछे गए दिनांक 28.04.2016 के लोकसभा तारांकित प्रश्न सं. 68 के भाग (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक-।।

(क) स्वीकृत सौर पार्कों की सूची

क्र.सं.	राज्य	क्षमता (मेगावाट)	पहचान की गई भूमि
1	आंध्र प्रदेश	1500	अनन्तपुरामू और कडप्पा जिलों के एनपी कुंता तथा गालीवीडू
2	आंध्र प्रदेश	1000	कुरनूल जिले
3	आंध्र प्रदेश	1000	गालीवीडू मॉडल, कडप्पा जिले
4	आंध्र प्रदेश	500	तालारिचेरिवू ग्राम, तड़ीपाथ्री मंडल, आंध्र प्रदेश के जिला अनन्तपुरामू
5	अरुणाचल प्रदेश	100	लोहित जिले में तेजू बस्ती
6	असम	69	शिवसागर जिले में अमगुरी
7	छत्तीसगढ़	500	राजनांदगांव, जांजगीर चांपा जिलों
8	गुजरात	700	राधानेस्दा, वाव, जिला बनासकांठा
9	हरियाणा	500	हिसार जिले में बुगन, बरलू और सिंघानी भिवानी जिले में और दौखेरा महीन्द्रगढ़ जिले में
10	हिमाचल प्रदेश	1000	लाहौल और स्पीति जिले के स्पीति घाटी
11	जम्मू-कश्मीर	100	मोहगढ़ और बदला ब्राह्मण, जिला-सांबा
12	कर्नाटक	2000	पवागडा तुमकुर जिले तालुक।
13	केरल	200	कासरगोड जिले के पाईवलिके, मीनांजा, किनानूर, क्रेनदलाम और अम्बालाथरा गांव
14	मध्य प्रदेश	750	रीवा, मध्य प्रदेश
15	मध्य प्रदेश	1000	नीमच, आगर और मंदसौर
16	मध्य प्रदेश	500	राजगढ़ और शाजापुर
17	मध्य प्रदेश	500	छतरपुर और मुरैना
18	महाराष्ट्र	500	सकरी, महाराष्ट्र के धूले जिले
19	महाराष्ट्र	500	दोंडैचा, जिला धूले, महाराष्ट्र

20	महाराष्ट्र	500	तालुका पटोदा, जिला बीड, महाराष्ट्र
21	मेघालय	20	वेस्ट जयंतिया हिल्स और पूर्वी जयंतिया हिल्स जिलों
22	नगालैंड	60	दीमापुर, कोहिमा और न्यू पेरेन जिलों
23	ओडिशा	1000	बालासोर, क्योंझर, देवगढ़, बौध, कालाहांडी और अंगुल
24	राजस्थान	680	भाडला द्वितीय चरण, भाडला, राजस्थान
25	राजस्थान	1000	भाडला तृतीय चरण, भाडला, राजस्थान
26	राजस्थान	750	गांवों उगरास, नागनेचिनगर और दांढू, तहसील फलौदी, जिला जोधपुर (450 मेगावाट) और गांवों लावण और पुरोहितसर, तहसील पोखरण, जिला जैसलमेर (300 मेगावाट)
27	राजस्थान	500	भाडला चतुर्थ चरण, भाडला, जोधपुर राजस्थान
28	राजस्थान (भारत सरकार के समर्थन के माध्यम से 321 मेगावाट 1500 मेगावाट में से)	321	फतेहगढ़ और पोखरण, जैसलमेर, राजस्थान
29	तेलंगाना	500	गट्टू, महबूब नगर जिला
30	उत्तर प्रदेश	600	जालौन, इलाहाबाद, मिर्जापुर और कानपुर देहात जिला
31	उत्तराखंड	50	इंडस्ट्रियल एरिया, सितारगंज (प्रथम चरण), इंडस्ट्रियल एरिया, सितारगंज (द्वितीय चरण) और इंडस्ट्रियल एरिया, काशीपुर
32	पश्चिम बंगाल	500	पूर्व मेदनीपुर, पश्चिम मेदनीपुर, बांकुरा
	कुल	**19400**	

(ख) नहरों के ऊपर तथा नहरों के किनारे पर लगाए जाने हेतु स्वीकृत परियोजनाएं

नहरों के ऊपर 50 मेगावाट की सौर पीवी परियोजनाओं का राज्यवार आवंटन

क्र.सं.	राज्य	राज्य की कार्यान्वयन एजेंसी	क्षमता जिसके लिए सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान किया गया है (मेगावाट)
1	आन्ध्र प्रदेश	आन्ध्र प्रदेश नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा विकास निगम (एनआरईडीसीएपी)	1 मेगावाट कैनल-टॉप
2	गुजरात	सरदार सरोवर नर्मदा निगम लि. (एसएसएनएनएल)	10 मेगावाट कैनल-टॉप
3	कर्नाटक	कृष्ण भाग्य जल निगम लि. (केबीजेएनएल)	10 मेगावाट कैनल-टॉप
4	केरल	केरल राज्य विद्युत बोर्ड लि. (केएसईबी)	2 मेगावाट कैनल-टॉप
5	पंजाब	पंजाब ऊर्जा विकास एजेंसी (पीईबीए)	20 मेगावाट कैनल-टॉप
6	उत्तराखंड	उत्तराखंड जल विद्युत निगम लि.	1 मेगावाट कैनल-टॉप
7	उत्तर प्रदेश	उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग	6 मेगावाट कैनल-टॉप (3.5 मेगावाट + 2.5 मेगावाट)
	कुल		50 मेगावाट कैनल-टॉप

नहरों के किनारे 50 मेगावाट की सौर पीवी परियोजनाओं का राज्यवार आवंटन

क्र.सं.	राज्य	राज्य की कार्यान्वयन एजेंसी	क्षमता जिसके लिए सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान किया गया है (मेगावाट)
1	आन्ध्र प्रदेश	आन्ध्र प्रदेश विद्युत उत्पादन निगम लि. (एपीजीईएनसीओ)	5 मेगावाट कैनल-बैंक
2	गुजरात	सरदार सरोवर नर्मदा निगम लि. (एसएसएनएनएल)	15 मेगावाट कैनल-बैंक
3	केरल	केरल राज्य विद्युत बोर्ड लि. (केएसईबी)	1 मेगावाट कैनल-बैंक
4	उत्तराखंड	उत्तराखंड जल विद्युत निगम लि.	19 मेगावाट कैनल-बैंक
5.	पश्चिम बंगाल	पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत विकास निगम लि. (डब्ल्यूबीएसईडीसीएल)	10 मेगावाट कैनल-बैंक
	कुल		50 मेगावाट कैनल-बैंक

(ग) सौर नगरों का विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत चयनित सौर नगरों की सूची

क्र.सं.	राज्य	स्वीकृत सौर शहर
1	आंध्र प्रदेश	1. विजयवाड़ा
		2. नरसापुर टाउन
		3. काकीनाडा
2	असम	4. गुवाहाटी
		5. जोरहाट
3	अरुणाचल प्रदेश	6. ईटानगर
4	बिहार	7. गया
5	चंडीगढ़	8. चंडीगढ़
6	छत्तीसगढ़	9. बिलासपुर
		10. रायपुर
7	गुजरात	11. राजकोट
		12. गांधीनगर
		13. सूरत
8	गोवा	14. पणजी शहर
9	हरियाणा	15. गुडगाँव
		16. फरीदाबाद
10	हिमाचल प्रदेश	17. शिमला
		18. हमीरपुर
1 1	कर्नाटक	19. मैसूर
		20. हुबली -धारवाड
12	केरल	21. तिरुवनंतपुरम
		22. कोच्चि
13	महाराष्ट्र	23. नागपुर
		24. थाणे
		25. कल्याण-डोंबिवली
		26. औरंगाबाद
		27. नांदेड़
		28. शिरडी
		29. पुणे
14	मध्य प्रदेश	30. इंदौर
		31. ग्वालियर
		32. भोपाल

		33.	रीवा
		34.	जबलपुर
15	मणिपुर	35.	इंफाल
16	मिजोरम	36.	आइजोल
17	नगालैंड	37.	कोहिमा
		38.	दीमापुर
18	दिल्ली	39.	नई दिल्ली (एनडीएमसी क्षेत्र)
19	उड़ीसा	40.	भुवनेश्वर
20	पंजाब	41.	अमृतसर
		42.	लुधियाना
		43.	एसएएस नगर (मोहाली)
21	राजस्थान	44.	अजमेर
		45.	जयपुर
		46.	जोधपुर
22	तमिलनाडु	47.	कोयम्बटूर
23	तेलंगाना	48.	महबूबनगर
24	त्रिपुरा	49.	अगरतला
25	उत्तराखंड	50.	देहरादून
		51.	हरिद्वार और ऋषिकेश
		52.	चमोली - गोपेश्वर
26	उत्तर प्रदेश	53.	आगरा
		54.	मुरादाबाद
		55.	इलाहाबाद
27	पश्चिम बंगाल	56.	हावड़ा
		57.	मध्यमग्राम
		58.	न्यू टाउन कोलकाता
28	जम्मू-कश्मीर	59.	लेह
29	पुडुचेरी	60.	पुडुचेरी

(घ) विगत 3 वर्षों के दौरान ग्रिड संबद्ध सौर रूफटॉप के लिए अनुमोदित परियोजनाओं के राज्य-वार ब्यौरे जिनके लिए धनराशि आवंटित और जारी की गई (करोड़ रु. में)

विगत 3 वर्षों के दौरान ग्रिड संबद्ध सौर रूफटॉप प्रणालियों के लिए आवंटित और जारी की गई धनराशि का राज्य-वार ब्यौरा (करोड़ रु. में)					
क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वर्ष 2013-14	वर्ष 2014-15	वर्ष 2015-16	कुल
		जारी राशि	जारी राशि	जारी राशि	जारी राशि
1	आंध्र प्रदेश		2.41	3.87	6.28
2	छत्तीसगढ़			3.60	3.60
3	दिल्ली			5.76	5.76
4	गुजरात	1.03		4.50	5.53
5	गोवा			1.44	1.44
6	हरियाणा			3.60	3.60
7	केरल			4.68	4.68
8	मध्य प्रदेश			1.24	1.24
9	ओडिशा			2.88	2.88
10	पंजाब			9.22	9.22
1 1	राजस्थान			4.26	4.26
12	तमिलनाडु	0.51		8.23	8.74
13	तेलंगाना			3.08	3.08
14	उत्तराखंड		0.01	22.13	22.14
15	उत्तर प्रदेश			5.86	5.86
16	पश्चिम बंगाल			3.09	3.09
17	चंडीगढ़	0.62	6.12	9.79	16.54
18	मणिपुर			0.91	0.91
	उप योग	**2.16**	**8.54**	**98.13**	**108.84**
19	पीएसयू सरकारी / विभाग			18.52	18.52
20	भारतीय सौर ऊर्जा निगम			128	128
21	क्षमता निर्माण कार्यक्रम			2.73	2.73
	कुल	**2.16**	**8.54**	**247.38**	**258.09**

(ङ) ऑफ ग्रिड कार्यक्रम के अन्तर्गत संस्थापित स्टैंड एलोन सौर संयंत्रों के राज्य-वार ब्यौरे

विद्युत संयंत्र	
राज्य / संघ राज्य क्षेत्र	स्टैंड एलोन(किलोवॉट)
आंध्र प्रदेश	3632
अरुणाचल प्रदेश	600
असम	1605
बिहार	1021
छत्तीसगढ़	22898
दिल्ली	698
गोवा	32
गुजरात	13576
हरियाणा	2321
हिमाचल प्रदेश	1512
जम्मूकश्मीर-	7561
झारखंड	3539
कर्नाटक	4676
केरल	3894
मध्य प्रदेश	2726
महाराष्ट्र	3857
मणिपुर	1241
मेघालय	884
मिजोरम	1185
नागालैंड	1292
उड़ीसा	567
पंजाब	1202
राजस्थान	15540
सिक्किम	795
तमिलनाडु	7297
त्रिपुरा	369
उत्तर प्रदेश	6263
उत्तराखंड	628
पश्चिम बंगाल	1126
अंडमान एवं निकोबार	167
चंडीगढ़	730
दादरा एवं नगर हवेली	0
दमन और दीव	0
दिल्ली	571
लक्षद्वीप	1090
पुडुचेरी	40
तेलंगाना	1833
अन्य	23885
कुल	**140853**

अनुलग्नक-।।।

"सौर ऊर्जा संयंत्र" के संबंध में पूछे गए दिनांक 28.04.2016 के लोकसभा तारांकित प्रश्न सं. 68 के भाग (ङ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक-।।।

जेएनएनएसएम के अन्तर्गत योजनाओं का ब्यौरा

(।) सौर पार्कों और अल्ट्रा मेगा सौर विद्युत परियोजनाओं के विकास हेतु योजना

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा सौर पार्कों और अल्ट्रा मेगा सौर विद्युत परियोजनाओं के विकास हेतु योजना दिनांक 12.12.2014 को आरंभ की गई। सरकार द्वारा वर्ष 2014-15 से आरंभ करते हुए 5 वर्षों की समयावधि के भीतर 20,000 मेगावाट से अधिक की सौर विद्युत संस्थापित क्षमता के लक्ष्य से कम से कम 25 सौर पार्कों और अल्ट्रा मेगा सौर विद्युत परियोजनाओं की संस्थापना करने का प्रस्ताव किया गया है। सौर पार्कों की क्षमता 500 मेगावाट और उससे अधिक होगी। तथापि हिमालयी क्षेत्र और अन्य पर्वतीय राज्यों में कम क्षमता के पार्कों पर विचार किया जा सकता है।

योजना के अन्तर्गत मंत्रालय द्वारा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने, सर्वेक्षण कार्यों का संचालन करने आदि के लिए प्रति सौर पार्क 25 लाख रु. की केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इसके अलावा योजना में निर्धारित माइलस्ट्रोन प्राप्त करने पर प्रति मेगावाट 20 लाख रु. अथवा ग्रिड कनेक्टिविटी की लागत सहित परियोजना लागत के 30 प्रतिशत, जो भी कम हो, की केन्द्रीय वित्तीय सहायता भी दी जाती है।

(।।) नहरों के किनारे/नहरों के ऊपर सौर पीवी विद्युत संयंत्रों के विकास हेतु योजना

सरकार ने दिनांक 05 दिसम्बर, 2014 को "नहरों के किनारे और नहरों के ऊपर ग्रिड संबद्ध सौर पीवी विद्युत संयंत्रों के विकास हेतु प्रायोगिक–सह–प्रदर्शन परियोजना" के कार्यान्वयन को मंजूरी प्रदान की है। नहरों के किनारे और नहरों के ऊपर (50 मेगावाट नहरों के ऊपर और 50 मेगावाट नहरों के किनारे) 100 मेगावाट के ग्रिड संबद्ध सौर पीवी विद्युत संयंत्रों की संस्थापना का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

कार्यान्वयन व्यवस्थाएं

1. पात्रताः राज्य विद्युत उत्पादन कंपनियाँ/राज्य सरकार की यूटीलिटीज/राज्य सरकार का कोई अन्य संगठन/पीएसयू/भारत सरकार का पीएसयू अथवा भारत सरकार का संगठन। 2014-15 के दौरान अथवा बाद में पूर्ण किए जाने पर राज्यों से परियोजना मोड में भी प्रस्ताव स्वीकार्य होंगे।

2. योजना प्रबन्धकः एमएनआरई की ओर से भारतीय सौर ऊर्जा निगम (सेकी) योजना प्रबन्धक होगा जो एमएनआरई के नियन्त्रणाधीन है। सेकी द्वारा इस योजना के अन्तर्गत भारत सरकार की ओर से उपलब्ध कराए जाने वाले निधियों का संचालन किया जाएगा जिसके लिए उन्हें उनके माध्यम से संचालित/जारी निधियों का 1 प्रतिशत सेवा प्रभार दिया जाएगा।

3. योजना के प्रचालन की पद्धतिः कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा एमएनआरई को नहरों के किनारे/नहरों के ऊपर ग्रिड संबद्ध सौर पीवी विद्युत संयंत्रों की स्थापना करने हेतु आवेदन/प्रस्ताव भेजे जाएंगे। एमएनआरई/सेकी द्वारा आवेदन/प्रस्ताव की समीक्षा/संवीक्षा की जाएगी और उपयुक्त पाए जाने पर एमएनआरई द्वारा परियोजना को मंजूरी दी जाएगी। तत्पश्चात् सेकी द्वारा कैनल टॉप एसपीवी परियोजनाओं के लिए 3 करोड़

रु. / मेगावाट तक और कैनल बैंक एसपीवी परियोजनाओं के लिए 1.5 करोड़ रु. / मेगावाट तक की पूंजीगत सब्सिडी जारी की जाएगी।

<u>केन्द्रीय वित्तीय सहायता</u>

- कैनल टॉप एसपीवी परियोजनाओं के लिए 3 करोड़ रु. / मेगावाट अथवा परियोजना लागत का 30 प्रतिशत, जो भी कम हो तथा कैनल बैंक एसपीवी परियोजनाओं के लिए 1.5 करोड़ रु./मेगावाट अथवा परियोजना लागत का 30 प्रतिशत, जो भी कम हो।
- संयंत्रों की मंजूरी के बाद 100 मेगावाट (नहरों के ऊपर 50 मेगावाट और नहरों के किनारे 50 मेगावाट) के लिए 225 करोड़ रु. की केन्द्रीय वित्तीय सहायता को अधिकतम 2 वर्षों की अवधि में निम्नानुसार वितरित किया जाना हैः-
  - परियोजनाओं की मंजूरी पर 40 प्रतिशत तक
  - परियोजनाओं के सफलतापूर्वक आरंभ होने पर 60 प्रतिशत
- सेकी को 1 प्रतिशत की दर से सेवा प्रभारः 2.25 करोड़ रु.।

(III) जेएनएनएसएम के चरण-II / III के बैच-**IV** के अन्तर्गत रक्षा मंत्रालय के अधीन रक्षा प्रतिष्ठानों और अर्ध सैनिक बलों द्वारा व्यवहार्यता अन्तराल निधिकरण के साथ 300 मेगावाट की ग्रिड संबद्ध सौर पीवी विद्युत परियोजनाओं की संस्थापना हेतु योजना

यह योजना 07 जनवरी, 2015 को आरंभ की गई।

<u>मुख्य विशिष्टताएं</u>

(i). रक्षा मंत्रालय के विभिन्न प्रतिष्ठानों अर्थात् सेना, नौ-सेना, वायु सेना के प्रतिष्ठानों, रक्षा प्रयोगशालाओं और रक्षा क्षेत्र के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों आदि में 300 मेगावाट क्षमता संस्थापित की जाएगी। इस योजना के अन्तर्गत अर्ध सैनिक बलों को भी शामिल किया जाएगा। परियोजना का न्यूनतम आकार 1 मेगावाट होगा।

(ii). अन्तरमंत्रालयी समूह द्वारा डीसीआर मात्रा के साथ 2.5 करोड़ रु./मेगावाट की दर से 750 करोड़ रु. की एनसीईएफ सहायता की सिफारिश की गई है।

(iii). इस योजना के अन्तर्गत परियोजनाओं द्वारा अनिवार्य रूप से भारत में बने सौर सेलों/मॉड्यूलों का उपयोग किया जाएगा।

(iv). उपर्युक्त प्रतिष्ठानों द्वारा सीमावर्ती क्षेत्रों सहित देश में कहीं भी सौर परियोजनाएं विकसित करने के लिए समय-समय पर स्थान की पहचान की जाएगी।

(v). रक्षा संगठन/प्रतिष्ठान विद्युत परियोजनाओं के स्वामित्व के लिए स्वतंत्र होंगे अर्थात् अपने लिए परियोजना का निर्माण करने हेतु ईपीसी संविदाकार बहाल करने अथवा किसी विकासकर्त्ता, जो निवेशकर्त्ता है और 25 वर्षों के लिए 5.50 रु./यूनिट की निर्धारित शुल्क दर पर (अथवा एडी के साथ 4.75 रु.) विद्युत की आपूर्ति करता है, को बहाल करने के लिए स्वतंत्र होंगे।

(vi). रक्षा मंत्रालय अथवा रक्षा संगठन निविदाकरण हेतु अपनी प्रापण प्रणालियों को अपनाने अथवा विस्तृत दिशा-निर्देश अथवा प्रक्रियाएं विकसित करने के लिए स्वतंत्र होंगे। परियोजनाओं को विकसित करने के लिए बोली हेतु सौर परियोजना विकासकर्त्ताओं को आमंत्रित करने के लिए

निविदाएं स्वयं रक्षा प्रतिष्ठानों द्वारा जारी की जाएंगी। वे रक्षा/अर्ध सैनिक प्रतिष्ठानों में कार्य करने से संबंधित सुरक्षा संबंधी पहलुओं को शामिल करने के लिए दिशा निर्देश भी तैयार कर सकते हैं। वे टर्न-की आधार पर सेकी की सेवाएं भी प्राप्त कर सकते हैं।

(vii). सौर परियोजना विकासकर्त्ताओं को बोली के आधार पर वीजीएफ उपलब्ध कराया जाएगा। बोलीकर्त्ताओं का चयन 25 वर्षों के लिए 5.50 रु. / किलोवाट घंटे की दर पर सौर विद्युत की आपूर्ति करने की प्रतिबद्धता के साथ परियोजनाओं के लिए आवश्यक न्यूनतम वीजीएफ हेतु बोलियों के आधार पर किया जाएगा। तथापि वीजीएफ की अधिकतम सीमा निम्नानुसार हैः

श्रेणी-I: 5 मेगावाट तक की परियोजना क्षमता के लिए 2.5 करोड़ रु. प्रति मेगावाट अथवा परियोजना लागत का 30 प्रतिशत;

श्रेणी-II: 5 मेगावाट से अधिक तथा 25 मेगावाट तक की परियोजना क्षमता के लिए 2 करोड़ रु. प्रति मेगावाट अथवा परियोजना लागत का 30 प्रतिशत, जो भी कम हो; और

श्रेणी-III: 25 मेगावाट से अधिक की परियोजना क्षमता के लिए 1.5 करोड़ रु. प्रति मेगावाट अथवा परियोजना लागत का 30 प्रतिशत, जो भी कम हो।

(IV) जेएनएनएसएम के चरण-II के बैच-**V** के अन्तर्गत केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (सीपीएसयू) द्वारा व्यवहार्यता अन्तराल निधिकरण के साथ 1000 मेगावाट की ग्रिड संबद्ध सौर पीवी विद्युत परियोजनाओं की संस्थापना हेतु योजना का कार्यान्वयन

केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम और भारत सरकार के संगठन राज्य यूटीलिटीज/वितरण कंपनियों को सौर विद्युत का विक्रय करने/स्वयं उपयोग करने/अन्य पक्ष विक्रय/व्यापारिक विक्रय के लिए समय-समय पर विभिन्न केन्द्रीय/राज्य सरकार की निविदाओं में भाग लेते हैं। ऐसे सीपीएसयू और भारत सरकार के संगठन योजना के अन्तर्गत पात्र हैं। मंत्रिमंडल ने इस योजना को दिनांक 10 दिसम्बर, 2014 को संपन्न अपनी बैठक में मंजूरी प्रदान की। मंत्रालय द्वारा 16 जनवरी, 2015 को प्रशासनिक अनुमोदन जारी किया गया है।

<u>मुख्य विशेषताएं</u>

(i). सीपीएसयू तथा भारत सरकार के संगठनों द्वारा 1000 मेगावाट की ग्रिड संबद्ध सौर पीवी विद्युत परियोजनाएं,

(ii). कार्यान्वयन की अवधि: 2014-15 से 2015-16,

(iii). वीजीएफ भारतीय सौर ऊर्जा निगम के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा जो घरेलू रूप से उत्पादित सेलों और मॉड्यूलों का उपयोग करने वाली परियोजनाओं के लिए 1 करोड़ रु. प्रति मेगावाट और घरेलू रूप से उत्पादित मॉड्यूलों का उपयोग करने वाली परियोजनाओं के लिए 50 लाख रु. प्रति मेगावाट की निर्धारित दर पर दिया जायेगा।

(iv). वैकल्पिक रूप से वीजीएफ सीपीएसयू/भारत सरकार के संगठनों को जारी करने के स्थान पर घरेलू विनिर्माताओं को सीधे सेकी के माध्यम से भी जारी किया जा सकता है, यदि ऐसा आवश्यक हो। इसे उस विनिर्माता को जारी किया जाएगा जो सीपीएसयू/भारत सरकार के संगठन/उनके ईपीसी संविदाकार द्वारा दिए गए क्रय आदेश पर उस विद्युत संयंत्र विशेष के लिए सीपीएसयू/भारत सरकार

के संगठनों को सेलों और मॉड्यूलों की आपूर्ति करेगा। वीजीएफ को परियोजना के आरंभ होने और सीपीएसयू/भारत सरकार के संगठनों द्वारा सेकी से वीजीएफ जारी करने का अनुरोध किए जाने के बाद जारी किया जाएगा।

(v). अन्तरमंत्रालयी समूह द्वारा 1000 करोड़ रु. की एनसीईएफ सहायता की सिफारिश की गई है।

(vi). सीपीएसयू द्वारा अपने उपयोग अथवा किसी अन्य पक्ष को परस्पर निर्धारित दरों पर विद्युत का विक्रय करने के लिए राज्य यूटिलिटीज/डिस्कोम्स के साथ केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग अथवा राज्य विनियामकों द्वारा निर्धारित शुल्क दर पर विद्युत खरीद समझौते/विद्युत विक्रय समझौते किए जा सकते हैं।

(V) राष्ट्रीय सौर मिशन के चरण-।। के बैच-।। के अन्तर्गत 15000 मेगावाट की ग्रिड संबद्ध सौर पीवी विद्युत परियोजनाओं की संस्थापना हेतु योजना का कार्यान्वयन (एनटीपीसी/एनवीवीएन द्वारा)

मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सौर मिशन के अन्तर्गत एनटीपीसी/एनवीवीएन के माध्यम से 15000 मेगावाट की ग्रिड संबद्ध सौर पीवी विद्युत परियोजनाओं की संस्थापना करने लिए 3 चरणों में योजना के कार्यान्वयन को निम्नानुसार मंजूरी प्रदान की है:-

चरण-।	3,000 मेगावाट	2014-15 से 2016-17
चरण-।।	5,000 मेगावाट	2015-16 से 2017-18
चरण-।।।	7,000 मेगावाट	2016-17 से 2018-19

चरण-। जो कि राष्ट्रीय सौर मिशन के चरण-।। का बैच-।। होगा, में सौर पीवी विद्युत संयंत्रों की 3,000 मेगावाट क्षमता 2 : 1 के अनुपात में (मेगावाट में) अनावंटित तापीय विद्युत (1500 मेगावाट) के साथ सौर विद्युत (3,000 मेगावाट) के मिश्रण पर आधारित होगी जिसके लिए आवश्यक 1500 मेगावाट अनावंटित तापीय विद्युत को विद्युत मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराया गया है।

(VI) भारतीय सौर ऊर्जा निगम (सेकी) के माध्यम से व्यवहार्यता अन्तराल निधिकरण के साथ 2000 मेगावाट ग्रिड संबद्ध सौर विद्युत की संस्थापना।

इस योजना में सौर विद्युत विकासकर्त्ताओं द्वारा "निर्माण, स्वामित्व प्रचालन" आधार पर 2000 मेगावाट सौर पीवी विद्युत परियोजनाओं की संस्थापना की जाएगी। राज्य विशिष्ट वीजीएफ योजना के अन्तर्गत 2000 मेगावाट क्षमता की सौर परियोजनाएं विभिन्न राज्यों के सौर पार्कों में स्थापित की जाएंगी जिन्हें केन्द्रीय और राज्य एजेंसियों के समन्वित प्रयासों से विकसित किया जाएगा। चूंकि सौर पार्कों का कार्यान्वयन हाल ही में आरंभ हुआ है, यह संभव है कि कुछ राज्यों में सौर पार्क शीघ्र उपलब्ध न हों। ऐसे राज्यों के लिए सौर परियोजनों को सौर पार्कों से बाहर अवस्थित होने की अनुमति दी जाएगी जिसमें भूमि या तो राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी अथवा उसका प्रबन्ध सौर विद्युत विकासकर्त्ताओं द्वारा किया जाएगा। चुनिन्दा सौर विद्युत विकासकर्त्ताओं को व्यवहार्यता अन्तराल निधिकरण प्रदान किया जाएगा ताकि वे सेकी को पूर्व निर्धारित शुल्क दर पर विद्युत की आपूर्ति करने में समर्थ हो सके। परियोजना विकासकर्त्ता को उसके द्वारा लगाई गई बोली के आधार पर व्यवहार्यता अन्तराल निधिकरण उपलब्ध कराया जाएगा। वीजीएफ के लिए अधिकतम सीमा खुली श्रेणी के लिए 1.0 करोड़ रु./मेगावाट (डीसीआर श्रेणी में परियोजनाओं के लिए 1.31 करोड़ रु./मेगावाट) रखी गई है।

परियोजनाओं का चयन वीजीएफ आवश्यकता के आधार पर प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से किया जाएगा जिसमें बोलीकर्त्ताओं द्वारा मांगी गई नकारात्मक वीजीएफ के मामले में शुल्क दर में कमी का प्रावधान होगा। 2000 मेगावाट की कुल क्षमता में से 250 मेगावाट क्षमता घरेलू मात्रा की आवश्यकता के साथ बोली प्रक्रिया के लिए निर्धारित की जाएगी।

परियोजना विकासकर्त्ता को देय शुल्क दर आरंभिक वर्ष के लिए 5.43 रु./किलोवाट घंटा निर्धारित की गई है और उसके बाद इसमें अगले 20 वर्षों के लिए प्रत्येक वर्ष 0.05 रु./किलोवाट घंटा की वृद्धि की जाएगी जिसके फलस्वरूप 21वें वर्ष के अंत में अधिकतम अनुज्ञेय शुल्क दर 6.43 रु./किलोवाट घंटा हो जाएगी। तत्पश्चात् शुल्क दर 6.43 रु./किलोवाट घंटा पर निर्धारित रहेगी। इस प्रकार विद्युत खरीद समझौते की अवधि के लिए समस्तरित शुल्क दर 5.79 रु./किलोवाट घंटा होगी।

******